प्रकरण संख्या 25/2023 प्रेम कुंवर व अन्य बनाम प्रेमसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.05.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवदीगण के मोरूसी मिल्कीयत व संयुक्त खातेदारी स्वामित्व की कृषि भूमि राजस्व ग्राम कल्ला खेडी खारा तहसील नाथद्वारा में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 02 एवं पुराना 11 के आराजी नम्बर 49, 54 मे कुल किता दो कुल क्षेत्रफल दो बीघा दो बिस्वा एवं खाता संख्या नया 03 एवं पुराना 08 के आराजी नम्बर 65, 90, 99, 100 से 102, 126 से 137 मे कुल किता 18 कुल क्षैत्रफल बाईस बीघा बारह बिस्वा एवं खाता संख्या नया 05 एवं पुराना 06 के आराजी नम्बर 8 से 19, 23 से 34, 43 से 48, 50 से 53, 55 से 64, 66 से 70, 73 से 75, 81 से 87, 139, 140 से 148 मे कुल किता 69 कुल क्षैत्रफल पैसठ बीघा छः बिस्वा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 13 अनुसार होकर मूल पुरूष दलेरसिंह के पॉच पुत्र खुमानसिंह, स्वरूपसिंह, भोपालसिंह, पृथ्वीसिंह एवं जवाहरसिंह हुये। खुमानसिंह व स्वरूपसिंह लाऔलाद फोत हुये। भोपालसिंह के वारिस प्रतिवादी संख्या 7 से 13 है। पृथ्वीसिंह के वारिस प्रतिवादी संख्या 4 से 6 है। जवाहरसिंह के वारिस वादी व प्रतिवदी संख्या 1 से 3 है। अतः पक्षकारान के मध्य विधिवत् विभाजन किया जाकर प्रतिवदीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय मे वादी की एकतरफा बहस सुनकर दिनांक 29.08.2007 को निर्णय पारित करते हुये वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 26.03.2008 को अन्तिम डिक्री जारी की। उक्त अन्तिम डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 7 से 12 व 16 द्वारा इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गई जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.03.2009 को स्वीकार करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:15:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की पालन मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 08.05.2012 को निर्णय पारित करते हुये वादी का वाद एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर प्रकरण मे प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिसके विरूद्ध अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.04.2014 को निर्णय पारित करते हुये अपील स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय का पुनः रिमाण्ड किया जिसकी पालना मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः रजिस्टर किया जाकर वादी का वाद एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर प्रकरण मे प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 01.07.2015 को अन्तिम डिक्री जारी की।

उक्त अन्तिम डिक्री दिनांक 01.07.2015 के विरूद्ध पुनः अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.06.2019 को अपील खारिज कर दी गई, जिस पर अपीलान्टगण द्वारा पुनः अधीनस्थ न्यायालय की उक्त अंतिम डिक्री दिनांक 01.07.2015 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 22.09.2023 को प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार पुरोहित उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक टांक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रथम बार दिनांक 08.09.2023 को होने पर उसी दिन नकल प्राप्त की एवं अपील प्रस्तुत कर दी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए रेस्पोडेन्ट के विद्वान

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:15:11 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक ने बताया कि अपील 8 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए कोई उचित व पर्याप्त कारण नहीं बताया है। वैसे भी उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2015 के विरूद्ध आप न्यायालय में प्रस्तुत अपील 27.06.2019 को खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में पुनः उक्त निर्णय व डिक्री की अपील नहीं चल सकती है एवं इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2015 के विरूद्ध अपीलान्टगण द्वारा अपील दिनांक 22.09.2023 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील की समयावधि 60 दिवस होकर दिनांक 31.08.2015 तक अपील प्रस्तुत होनी थी। इस प्रकार अपील करीब 8 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की है एवं इसके लिए कोई उचित व पर्याप्त कारण उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है, जबकि देरी से प्रस्तुत अपील के मामले में प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सभी भूमियों का विभाजन आप न्यायालय के निर्देशों की पालना में नहीं किया है तथा आराजी नंबर 138 का विभाजन नहीं किया है तथा विभाजन नियमों की पालना नहीं की गयी है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा कब्जे व हिस्से अनुसार विभाजन करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2015 के विरूद्ध अपील 27.06.2019 को आप न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में पुनः उक्त निर्णय व डिक्री की अपील नहीं चल सकती है एवं अपील इसी आधार पर खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:15:11 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2019 अपील खारिज की जा चुकी है। उक्त अपील में हाल अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी नाथूसिंह रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18 थे। यदि अपीलान्ट न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2019 से संतुष्ट नहीं थे तो उन्हें माननीय राजस्व मण्डल में इसकी अपील करनी चाहिए था, जो नहीं की जाकर पुनः अधीनस्थ न्यायालय के उक्त डिक्री दिनांक 27.06.2019 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है, जो रेस ज्यूडीकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं होने से इस स्तर पर खारिज योग्य है।

अतः अपील बेरून मयाद होने एवं रेस ज्यूडीकेटा से बाधित होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:15:11 IST
Reason: SelfAttested